

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक  
पीठारीन अधिकारी-

सुखराम खोखर  
आर.ए.एस.  
तारीख निर्णय  
20.12.2019

गिसाल नम्बर  
39/2019/प्रा.पत्र/2019

तारीख दायरा  
10.06.2019

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
टोंक

..... प्रार्थी

बनाम

1. श्री चांदमल साहू पुत्र रामेश्वर साहू जाति तेली निवासी पांच बत्ती टोंक जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स रामेश्वर नमकीन एण्ड स्वीट्स सेन्टर पांच बत्ती टोंक जिला टोंक राज0
- 2- मैसर्स रामेश्वर नमकीन एण्ड स्वीट्स सेन्टर पांच बत्ती टोंक जिला टोंक राज0

..... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26  
(2) की उप धारा (ii) (iii) एवं दण्डनीय धारा 51,56 व 58 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित-

- 1-प्रार्थी की ओर से श्री सत्यनारायण गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।
- 2-अप्रार्थी उपस्थित


:-निर्णय:-

दिनांक 20.12.2019

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 19.03.2019 को समय 4.00 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स रामेश्वर नमकीन एण्ड स्वीट्स सेन्टर पांच बत्ती टोंक जिला टोंक राज0पर पहुंचां। एफ.बी.ओ. एवं प्रोपराइटर की हैसियत से श्री चांदमल साहू पुत्र रामेश्वर साहू जाति तेली निवासी पांच बत्ती टोंक जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स रामेश्वर नमकीन एण्ड स्वीट्स सेन्टर पांच बत्ती टोंक जिला टोंक राज0 खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना जाहिर किया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान के गोदाम में मावा बर्फी (खोया बेस्ट स्वीट)रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर. एफ.बी.ओ. श्री चांदमल साहू को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना क्व करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता चांदमल साहू एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान के गोदाम में स्टील की 4 ट्रे में लगभग 20 किलोग्राम मावा बर्फी (खोया बेस्ट स्वीट) रखे हुये में से एक ट्रे में रखी मावा बर्फी को पूर्णतया होमोजिनियस कर एक स्टील की ट्रे में 2 किलोग्राम मावा बर्फी वास्ते आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुये

  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
टोंक



मे से वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत एफ.बी.ओ. श्री चांदमल साहू को रू0 600/-अक्षरे छःसौ रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा मावा बर्फी (खोया बेस्ट स्वीट) को ज्यो का त्यो अलग-अलग चार भाग कर,चार साफ व सूखी कांच की चार शिशियो मे बराबरा-बराबर प्रत्येक शिशी मे 40 प्रतिशत फार्मेलिन कह 40-40 बूंदे डालकर अच्छी तरह हिला मिलाकर प्रत्येक शिशी को ढक्कन से अच्छी तरह चिपकाया व लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I-2156 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग-अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी. ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I-2156 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर एफ.बी.ओ. चांदमल साहू के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./19/1022 दिनांक 01.05.2019 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला राज0 जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/1004/एक्ट/2019/532 दिनांक 24.04.2019 अनुसार चांदमल साहू से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया मावा बर्फी (खोया बेस्ट स्वीट) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अनुसार अवमानक (Sub-Standard) का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा अवमानक (Sub-Standard) स्तर का मावा बर्फी (खोया बेस्ट स्वीट)का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) (iii) एवं दण्डनीय धारा 51,56, व 58 (सहपठित धारा 49) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस मावा बर्फी (खोया बेस्ट स्वीट) का विक्रय कर रहा था वह जांच में

  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
टोंक




अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे। ...

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया मावा बर्फी (खोया बेस्ट स्वीट)का नमूना जांच में अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2) की उप धारा (ii) (iii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51,56,58 (सहपठित धारा 49) अप्रार्थी श्री चांदमल साहू पुत्र रामेश्वर साहू जाति तेली निवासी पांच बत्ती टोंक जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स रामेश्वर नमकीन एण्ड स्वीट्स सेन्टर पांच बत्ती टोंक जिला टोंक राज0पर शास्ति 20,000(अक्षरे बीस हजार रू0) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 20.12.2019 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.12.2019 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



  
(सुखराम खोखर)  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
टोंक-राज0

